शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2019 / 4163 भोपाल, दिनांक 8-7-19

प्रति,

1. **समस्त जिला परियोजना समन्वयक,**
   जिला शिक्षा केन्द्र,मध्यप्रदेश
2. **समस्त विकास खंड स्त्रोत समन्वयक,**
   जनपद शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश

विषयः— सत्र 2019–20 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात बच्चे की स्कूल में प्रवेश लेने की एडमिशन रिपोर्टिंग के संबंध में।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) के अन्तर्गत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों द्वारा सत्र 2019–20 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा किये गये सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों में से दिनांक 01 जुलाई 2019 को **सार्वजनिक स्थल पर संपन्न ऑनलाइन** लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जा चुका है।

दिनांक 02 जुलाई 2019 से बच्चों द्वारा आवंटन पत्र की प्रति आरटीई पोर्टल से डाउनलोड कर उन्हें आवंटित किये गये अशासकीय स्कूलो में सीधें प्रवेश लेना प्रारंभ हो चुका है। आवंटन पत्र की वैद्यता सुनिश्चित करने तथा प्रवेश लेने वाले बच्चें की स्कूल में वास्तविक उपस्थिति एवं प्रवेश उपस्थिति की स्कूल द्वारा तत्काल रिपोर्टिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से इस सत्र में स्कूल को आवंटित यूजर नेम तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुये **मोबाइल** एप के माध्यम से संबधित आवंटन पत्र में उपलब्ध क्यू आर कोड को स्केन किया जाना है तो उपस्थित हुये बच्चे की मोबाइल एप से ही GEO Tag फोटो ली जायेगी।

स्कूलों को निर्देशित किया जाये कि आंवटन पत्र के माध्यम से ही प्रवेश देना सुनिश्चित करें। आवंटन पत्र की वैद्यता सुनिश्चित करने के लिए आवंटित स्कूल द्वारा आरटीई पोर्टल **पर** स्वंय भी आंवटन पत्र चेक किया जा सकता है। प्रवेश ले रहे बच्चे का अन्य अभिलेख जैसे निवास संबंधी दस्तावेज, जन्म संबंधी दस्तावेज,आरक्षित समूह संबधित दस्तावेज एवं फोटो एवं आवंटन पत्र की एक प्रति अभिभावक के हस्ताक्षर करा कर स्कूल द्वारा बच्चे के अभिलेख के रूप में संधारित की जायेगी।

समस्त पालकों को सूचित किया जाये कि ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आंवटित स्कूल में दिनांक **10 जुलाई 2019** तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेने हेतु उपस्थित हो एवं समस्त अशासकीय स्कूलो को निर्देशित किया जाये कि उपस्थित हुये बच्चों की उनके द्वारा **दिनांक 15 जुलाई 2019** तक मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग दर्ज की जाये। उक्त **दिनांक** के पश्चात एडमिशन रिपोर्टिंग नही हो सकेगी। यदि प्रवेश लेने के उपरांत भी कोई बच्चा एडमिशन रिपोर्टिंग हेतु शेष रह जाता है तो संबंधित संबंधित स्कूल ही व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे।

दिनांक 15 जुलाई 2019 के पश्चात रिक्त रह गयी सीटों की पोर्टल से गणना कर प्रथम चरण उपरांत जिन बच्चों को सीट आवंटित नही हो सकी है उनके लिये द्वितीय चरण की लॉटरी की प्रकिया प्रांरभ करने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। स्कूल द्वारा प्रवेश लेने वाले बच्चे की एडमिशन रिपोर्टिंग का मेन्युअल संलग्न है। कृपया इस प्रकिया एवं निर्देश के संबंध में समस्त अशासकीय स्कूलों को निर्देशित करते हुये उपरोक्त कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें।

संलग्नः— एडमिशन रिपोर्टिंग मेन्युअल

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2019 / 4164 भोपाल दिनांक 8-7-19

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,भोपाल म0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0
3. आयुक्त जनसंपर्क विभाग म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल, म0प्र0
5. आयुक्त आदिवासी विभाग म0प्र0 भोपाल।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, विघ्यांचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त कलेक्टर, जिला मध्यप्रदेश।
8. श्री सुनील जैन, बरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. विध्यांचल भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही वावत।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिलें म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र

आरटीई ऑनलाइन लॉटरी 2019–20 के माध्यम से आवंटन पश्चात बच्चे की स्कूल में उपस्थिति पश्चात स्कूल द्वारा मोबाइल एप्प के माध्यम से एडमीशन रिपोर्टिंग हेतु मेनुअल

Online Lottery के माध्यम से जिन बच्चों का आवंटन हुआ है वह पालक अपने बच्चे का आवंटन पत्र लेकर आवंटित स्कूल में निःशुल्क हेतु उपस्थित होगे। स्कूल द्वारा भी आवंटन पत्र आरटीई पोर्टल **http://rteportal.mp.gov.in** पर देख सकते है एवं डाउनलोड़ कर सकते है। स्कूल प्राचार्य द्वारा मोबाइल एप द्वारा बच्चे के स्कूल में एडमीशन रिपोर्टिंग की कार्यवाही निम्नानुसार प्रकिया के माध्यम से की जाना है–

1– सर्वप्रथम स्कूल प्राचार्य द्वारा गूगल प्ले स्टोर से mshikshamitra अपने स्मार्ट फोन में डाउनलोड किया जाये। मोबाइल में mshikshamitra एप इंस्टाल होने के बाद ओपन बटन पर क्लिक करें Allow पर क्लिक करें। यदि मोबाइल में mshikshamitra एप पूर्व से इंस्टाल है तो Uninstall करके फिर से डाउनलोड कर इंस्टाल करें।

इसके बाद **आगे जाए** बटन पर क्लिक करें।

2– इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करें। स्कूल को आवंटित यूजर नेम एवं पासवर्ड जिसके माध्यम से स्कूल द्वारा आधार सत्यापन तथा फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया की जाती है उसी पासवर्ड से एप में लॉगिन करें।

3– इसके पश्चात RTE आर.टी.ई. आप्शन पर क्लिक करें।

4– इसके पश्चात **एडमीशन दर्ज करें** पर क्लिक करें।

इसमें आवंटन पत्र में दर्ज क्यू आर कोड स्कैन करें पर क्लिक करें।

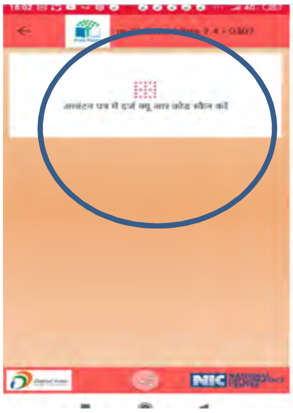

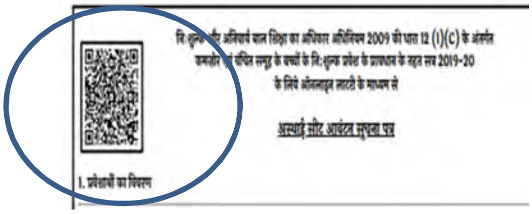

यदि आवंटन पत्र का क्यू आर कोड स्कैन नही हो रहा है अथवा इरर आ रही है तो मोबाइल एप से अथवा आरटीई पोर्टल http://rteportal.mp.gov.in से पुनः आवंटन पत्र डाउनलोड करें आप्शन से पुनः आवंटन पत्र डाउनलोड करके स्कैन करें। *सलाह दी जाती है कि यदि स्कैन करने में इस तरह की*

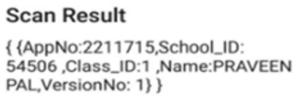

इरर या मेसेज आता है तो आवंटन पत्र पुनः पोर्टल से डाउनलोड कर लें अथवा आवंटन पत्र को डाउनलोड कर मोबाइल एप से मॉनीटर की स्कीन पर उपलब्ध आवंटन पत्र को स्कैन करें।

6- आवंटन पत्र को स्केन करने के बाद बच्चे का विवरण मोबाइल एप पर प्रदर्शित होगा। इससे उपस्थित बच्चे की तथा आवंटित बच्चे का मिलान हो सकेगा।

स्कूल मे बच्चे का फोटो भी मोबाइल से लेना है। मोबाइल से बच्चे का सही सही ले तथा फोटो लेते समय स्कूल का नाम भी प्रदर्शित हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चा वास्तविक रूप से स्कूल में उपस्थित हो चुका है। जिस दिनांक को मोबाइल एप से रिपोर्टिंग की जायेगी वही उसकी प्रवेश तिथि के रूप में प्रदर्शित होगी। अतः बच्चे के स्कूल में प्रवेश लेते हुये उसकी मोबाइल से प्रवेश रिपोर्टिंग दर्ज की जाये। फार्म से फोटो स्केन नही की जाये।

स्कूल द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्कूल में उपस्थित बच्चा तथा मोबाइल एप से खीचीं गयी फोटों समान हो। एडमिशन रिपोर्ट दर्ज करे आप्शन पर क्लिक करने के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लें इसके बाद ही एडमिशन रिपोर्ट करें आप्शन पर क्लिक करें। एक बार यदि किसी अन्य बच्चे की फोटो अपलोड कर दी जायेगी तो फिर सुधार संभव नही हो सकेगा।

7- **एडमिशन रिपोर्ट दर्ज करे** आप्शन पर क्लिक करने के बाद निम्न मेसेज आयेगा

Success:- Admission Reporting has been successully Submitted

इसका तात्पर्य है कि स्कूल द्वारा प्रवेश लिये बच्चे की स्कूल में रिपोर्टिंग दर्ज कर दी गयी है।

8– जिन बच्चों की एडमीशन रिपोर्ट स्कूल द्वारा की जायेगी उन बच्चों की सूची स्कूल लॉगिन पर भी प्रदर्शित होगी जो स्कूल द्वारा भी चेक की जा सकती है। उपस्थित होने वाले सभी बच्चों की समय सीमा में एडमीशन रिपोर्टिंग करना स्कूल हेतु अनिवार्य है।